

कथति फरजी मुठभेड़ मामलों में अनविर्य FIR पंजीकरण

[स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस](#)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कथति फरजी मुठभेड़ों के मामलों में अनविर्य रूप से [प्रथम सूचना रिपोर्ट \(FIR\)](#) दर्ज़ की जानी चाहिये, जिससे पुलिस की कार्रवाई के लिये कानूनी जवाबदेही मज़बूत होगी।

- **मामले की पृष्ठभूमि:** एक कथति मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्त की मौत में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ करने के नरिदेश देने वाले आदेशों को चुनौती देने हेतु याचिका दायर की गई थी।
 - एसडीएम की जाँच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, इसके बावजूद न्यायालय ने यह नरिधारति करने के लिये आगे की जाँच पर ज़ोर दिया कि मुठभेड़ वास्तविक थी या हत्या का मामला था।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने **ललति कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2013** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर शिकायत में [संज्ञेय अपराध](#) का सुझाव दिया गया है तो FIR दर्ज़ की जानी चाहिये, भले ही अंततः आरोप पत्र के बजाय क्लोज़र रिपोर्ट ही क्यों न हो।
 - न्यायालय ने मुख्यमंत्रियों को [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग](#) के 1997 के पत्र पर प्रकाश डाला, जिसमें पुलिस द्वारा न्यायेतर हत्याओं की उचित जाँच की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

और पढ़ें: [FIR और सामान्य डायरी](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mandatory-fir-registration-in-alleged-fake-encounter-cases>